न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, प्रतापगढ राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : **महेन्द्र कुमार मेहता**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मोटर दुर्घटना याचिका संख्या : **02/2018**

अल्पेश पिता शंभुलाल मीणा, आयु– 22 वर्ष, निवासी– धोबड, थाना–धमोतर, तहसील व जिला– प्रतापगढ़ (राज.)

———प्रार्थी

——:: बनाम ::——

01. गौतम पिता जोतिया मीणा, आयु– 44 वर्ष, निवासी– हाण्डाफला, बुजारागांव, थाना धमोतर, जिला– प्रतापगढ़ (राज.)
(चालक वाहन ट्रैक्टर मेसी टेफे नं. आर.जे. 35 आरए 3805)

02. जगदीश पिता रोडीलाल टांक, आयु– 50 वर्ष, निवासी– नयाफला, बारावरदा, थाना– धमोतर जिला– प्रतापगढ़(राज.)
(मालिक वाहन ट्रैक्टर मेसी टेफे नं. आर.जे. 35 आरए 3805)

03.– मण्डलीय प्रबन्धक दी युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मण्डलीय कार्यालय, भीलवाड़ा (राज.)
(बीमाकर्ता वाहन ट्रैक्टर मेसी टेफे नं. आर.जे. 35 आरए 3805)

———विपक्षीगण

क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा–166 मोटर वाहन अधिनियम

उपस्थिति–
01.– श्री एम.के. शर्मा – अधिवक्ता–प्रार्थी पक्ष।
02.– श्री गोपाललाल टांक, अधिवक्ता– विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से
03.– श्री सिद्धार्थ मोदी, अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 3 की तरफ से

::: पंचाट :::

दिनांक –27.04.2019

01. प्रार्थी/आहत अल्पेश की ओर से स्वयं के दुर्घटना में आयी चोटों के संबंध में यह क्लेम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरवाहन अधिनियम के तहत दिनांक 21.12.2017 को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु इस अधिकरण में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. संक्षेप में क्लेम प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 09.03.2017 को प्रार्थी बारावरदा घरेलु सामान लेने के लिये गया था और सामान लेकर बारावरदा से अपने घर की तरफ मोटरसाईकिल से आ रहा था कि आंगनवाडी के सामने, सांय 7.00 बजे ट्रैक्टर मेसी टेफे नं. आर.जे. 35 आरए 3805 का चालक ट्रैक्टर को गफलत लापरवाहीपूर्वक सामने से चलाता हुआ व उसके टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी निचे गिर गया और उसके शरीर पर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना की पुलिस थाना धमोतर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/17 दर्ज की गई और अनुसंधान के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी ने इस क्लेम के माध्यम से इस अधिकरण से क्षतिपूर्ति चाही है।

03. विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अपने जवाब में यह निवेदन किया गया

है कि क्लेम प्रार्थना पत्र के तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। ट्रैक्टर नं. आर.जे. 35 आरए 3805 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। विपक्षी संख्या 1 का दुर्घटना में कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि स्वयं प्रार्थी अल्पेश अधेंरे में सडक पर चल रहे अन्य वाहनों की अनदेखी कर अपनी मोटरसाईकिल को अचानक तेजगति से घुमाई हो, जिससे मोटरसाईकिल तेजगति के कारण व शराब के नशे में चलाने के कारण मोटरसाईकिल पर से नियंत्रण व संतुलन खो बैठा हो, जिससे मोटरसाईकिल अनियंत्रित होकर सड़क से निचे पडे पत्थरों पर चढ कर गिर गई हो, जिससे प्रार्थी के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोटें आई हो। विशेष कथन में बताया कि प्रार्थी कोई काम धंधा नहीं करता था, उसकी आय कुछ भी नहीं थी। दुर्घटना वाले दिन वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 के पास वेध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र था और प्रार्थी के पास मोटरसाईकिल चलाने का लाईसेंस नहीं था, उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, जो परिवहन नियम का उल्लंघन है, जिससे विपक्षीगण उत्तरदाता की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

04. विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से अपने जवाब में यह अभिवचन किया गया है कि क्लेम प्रार्थना पत्र के तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी ने क्लेम आवेदन पत्र में गलत तथ्य वर्णन किये है। प्रार्थी ने प्रतिकर प्राप्त करने के लिए पुलिस से मिलकर गलत व झुठा प्रकरण दर्ज कराया है। तथाकथित समय व स्थान पर उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई तथा प्रार्थी के कोई चोटें नहीं आयी। प्रार्थी कुछ भी नहीं कमाता था। वाहन मालिक का नाम बीमा पॉलिसी के अनुसार स्वीकार है। बताई गई तारीख को ट्रैक्टर नं. आर.जे. 35 आरए 3805 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है तथाकथित दुर्घटना कारित करने में विपक्षी संख्या 1 का कोई योगदान नहीं है, बल्कि प्रार्थी अल्पेश स्वयं जिम्मेदार है। विशेष कथन में बताया कि प्रार्थी अल्पेश जिस मोटरसाईकिल से यात्रा कर रहा था, उसका बीमा, पंजियन प्रमाण पत्र व प्रार्थी का वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है तथा मोटरसाईकिल के मालिक व बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है। वाहन ट्रैक्टर चालक के पास वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं था। वाहन स्वामी ने ट्रैक्टर को गैर कृषि कार्यों में प्रयोग किया है। इस प्रकार वाहन स्वामी एवं चालक ने बीमा शर्तों का उल्लघंन किया है, जिससे विपक्षी उत्तरदाता की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। अतः क्लेम खारिज किया जावें।

05. पक्षकारों के अभिवचनों तथा पत्रावली के अवलोकन से निम्न विवाद्यक निर्मित किये गये–

01.– आया दिनांक 09.03.2017 को शाम को लगभग 07.00 बजे स्थान बारावरदा में आंगनवाडी के सामने वाहन ट्रैक्टर मैसी टेफे नं. आर.जे. 35 आर.ए. 3805 को उसके चालक विपक्षी संख्या 1 गौतम ने वाहन को गफलत, लापरवाही से चलाकर प्रार्थी के टक्कर मारी, जिससे प्रार्थी/आहत श्री अल्पेश के साधारण तथा गंभीर चोटें कारित हुई?

————प्रार्थी

02.– आया वक्त दुर्घटना उक्त वाहन ट्रैक्टर मैसी टेफे नं. आर.जे. 35 आर.ए. 3805 को विपक्षी संख्या 1 चला रहा था जो कि वाहन के स्वामी विपक्षी संख्या 2 के नियोजन में होकर कार्यरत था एवं एवं वक्त दुर्घटना उक्त वाहन विपक्षी संख्या 3 द्वारा बीमित था?

————प्रार्थी

03.– आया विपक्षी बीमा कम्पनी/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में

अंकित आपत्तियों से अपने दायित्व से उन्मोचित योग्य है?

————विपक्षीगण

04.– आया प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हां तो किस प्रकार?

————प्रार्थी

05.– अनुतोष?

06. क्लेम–याचिका के समर्थन में प्रार्थी ए0ड0–1 अल्पेश व ए.ड. 2 शंभु तथा ए. ड. 3 भंवरलाल के कथन लेखबद्ध करवाते हुए दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–21 तक को प्रदर्शित करवाया गया। विपक्षीगण की ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

07. बहस अंतिम उभय पक्षों की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्मित विवाद्यकों पर मेरा निर्णय निम्न प्रकार से है :–

08. **<u>विवाद्यक संख्या–1</u> :–**

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है, जिसमें उसने यह तथ्य प्रमाणित करना है कि क्या दिनांक 09.03.2017 को शाम को लगभग 07.00 बजे स्थान बारावरदा में आंगनवाडी के सामने वाहन ट्रैक्टर मैसी टेफे नं. आर.जे. 35 आर.ए. 3805 को उसके चालक विपक्षी संख्या 1 गौतम ने वाहन को गफलत, लापरवाही से चलाकर प्रार्थी के टक्कर मारी, जिससे प्रार्थी/आहत श्री अल्पेश के साधारण तथा गंभीर चोटें कारित हुई?

09. इस संबंध में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं आधारों की पुनरावृती करते हुए कथन किया है कि दिनांक 09.03. 2017 को प्रार्थी बारावरदा घरेलु सामान लेने के लिये गया था और सामान लेकर बारावरदा से घर की तरफ आ रहा था कि आंगनवाडी के समने सांय 7.00 बजे ट्रैक्टर मेसी टेफे नं. आर.जे. 35 आरए 3805 का चालक ट्रैक्टर गफलत लापरवाहीपूर्वक सामने से चलाता हुआ व उसके टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी निचे गिर गया और उसके शरीर पर चोटें आयी। उनकी ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है तथा चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उससे प्रार्थी के शरीर पर दो गंभीर प्रकृति की चोटें आना और उसके बाये पांव की टिबिया एवं फिब्युला अस्थी का तथा बाये हाथ के अस्थी का भी भंग होना पाया गया है और बीमा कम्पनी द्वारा प्रार्थी साक्ष्य का कोई खण्ड्न नहीं किया है। प्रार्थी एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है और सरकारी अस्पताल में उसका ईलाज हुआ था। असल दस्तावेज ढुंढने पर भी नहीं मिलने से वह पेश नहीं कर सका है। प्रार्थी साक्ष्य से क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुर्ण रूप से संपुष्टि हुई है। अतः क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें और वर्णनानुसार क्षतिपूर्ति दिलायी जावें।

10. विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी ने क्लेम आवेदन पत्र में गलत तथ्य वर्णन किये है।ट्रैक्टर नं. आर.जे. 35 आरए 3805 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। विपक्षी संख्या 1 का दुर्घटना में कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि स्वयं प्रार्थी अल्पेश अधेंरे में सडक पर चल रहे अन्य वाहनों की अनदेखी कर अपनी मोटरसाईकिल को अचानक तेजगति से घुमाई हो, जिससे मोटरसाईकिल तेजगति के कारण व शराब के नशे में चलाने के कारण मोटरसाईकिल पर से नियंत्रण व संतुलन खो बैठा हो, जिससे मोटरसाईकिल अनियंत्रित होकर सड़क से निचे पडे पत्थरों पर चढ कर गिर गई हो, जिससे प्रार्थी के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोटें आई हो। प्रार्थी कोई काम धंधा नहीं करता था, उसकी आय कुछ भी नहीं थी। दुर्घटना वाले दिन वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 के पास वेध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र था और प्रार्थी के पास मोटरसाईकिल

चलाने का लाईसेंस नहीं था, अतः क्लेम खारिज किया जावें।

11. इसके विपरित विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी ने क्लेम आवेदन पत्र में गलत तथ्य वर्णन किये है। प्रार्थी ने प्रतिकर प्राप्त करने के लिए पुलिस से मिलकर गलत व झुठा प्रकरण दर्ज कराया है। तथाकथित समय व स्थान पर उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई तथा प्रार्थी के कोई चोटें नहीं आयी। प्रार्थी कुछ भी नहीं कमाता था। वाहन मालिक का नाम बीमा पॉलिसी के अनुसार स्वीकार है। बताई गई तारीख को ट्रैक्टर नं. आर.जे. 35 आरए 3805 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है तथाकथित दुर्घटना कारित करने में विपक्षी संख्या 1 का कोई योगदान नहीं है, बल्कि प्रार्थी अल्पेश स्वयं जिम्मेदार है। प्रार्थी अल्पेश जिस मोटरसाईकिल से यात्रा कर रहा था, उसका बीमा, पंजियन प्रमाण पत्र व प्रार्थी का वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है तथा मोटरसाईकिल के मालिक व बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है। वाहन ट्रैक्टर चालक के पास वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं था। वाहन स्वामी ने ट्रैक्टर को गैर कृषि कार्यों में प्रयोग किया है। उक्त दुर्घटना से ही चोटों का आना प्रमाणित नहीं है, क्योंकि प्रार्थी ने चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई संपुष्टि कारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ईलाज के दस्तावेज, अस्पताल में भर्ती व डिस्चार्ज होने तथा उपचाररत रहने के संबधं में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। एक्सरे रिपोर्ट से प्रार्थी के ही उक्त चोटें आना प्रमाणित नहीं है। एक्सरे रिपोर्ट में गलत दिनांक अंकित की है। संपुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में उक्त दुर्घटना से ही चोटें आना प्रमाणित नहीं है। अतः क्लेम खारिज किया जावें।

12. इस प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से गवाह ए.ड. 1 अल्पेश जो प्रस्तुत हुआ है इसने अपने मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र में क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया है कि वह घरेलु सामान लेने हेतु गया था और सामान लेकर बारावरदा से घर की तरफ आ रहा था कि आंगनवाडी के सामने शाम 7 बजे ट्रेक्टर मैसी टेफे नं. आर.जे. 35 आर.ए. 3805 का चालक गौतम ट्रैक्टर को गलफत, लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसके टक्कर मार दी, जिससे वह निचे गिर गया। यह कहता है कि उसके बाये हाथ व पैर पर चोटें आयी थी और उसे प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया था, जहां उसका ईलाज हुआ और काफी दिनों तक वह भर्ती भी रहा। गौतम के विरूद्ध थाना धमोतर में एफआईआर भी दर्ज करवायी थी। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 3 है। अपने कथनों के समर्थन में इसने प्रदर्श 1 से लगाकर प्रदर्श 21 तक के प्रलेखों को भी प्रदर्शित करवाया है। इसके उक्त कथनों से इसके क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को ही बल मिलता है। जिरह के दौरान इसने स्वयं का अनपढ़ होना और घटना की तारीख व वाहन का नम्बर ध्यान नहीं होना बताया है। यह कहता है कि वक्त घटना उसने शराब नहीं पी रखी थी। यह गलत है कि वह स्वयं मोटरसाईकिल से गिर गया हो और क्लेम लेने के लिए मिथ्या कथन कर रहा हो। इस प्रकार से इस गवाह से जिरह के दौरान विपक्षीगण की ओर से ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभासी तथ्य सामने नहीं लाया जा सका है कि जिससे इसके कथन असत्य अथवा अविश्वसनीय प्रकट हो। विपक्षीगण द्वारा भी इस गवाह के कथन उनकी जिरह से खण्ड़ित नहीं होते है।

13. प्रार्थी की ओर से गवाह ए.ड. 2 शंभुलाल जो प्रस्तुत हुआ है, इसने भी अपने मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रार्थी अल्पेश के ही कथनों की पुनरावृति करते हुए गौतम द्वारा उक्त ट्रैक्टर को गफलत, लापरवाही से चलाकर लाना और उसके पुत्र अल्पेश के टक्कर मार देना बताया है, जिससे अल्पेश के बाये हाथ व पैर पर चोटें आना और उसका प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में ईलाज होना व भर्ती रहना भी बताया

है। यह गवाह घटना की रिपोर्ट स्वयं द्वारा प्रदर्श 3 थाना धमोतर में देना व नक्शामौका प्रदर्श 6 होना और इन पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताता है। जिरह के दौरान इसने स्वयं का वक्त दुर्घटना मौके पर नहीं होना बताया है और यह कथन भी किया है कि लिखित रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी, उसने हस्ताक्षर किये थे। इस तथ्य को गलत कहता है कि उसका पुत्र स्वयं निचे गिर गया हो और क्लेम लेने के लिए वह झुठे बयान दे रहा हो। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जिरह करने पर यह इस तथ्य को गलत कहता है कि यह उसे पता नहीं हो कि किस वाहन से टक्कर लगी थी, बल्कि ट्रैक्टर से टक्कर होना भी बताता है।

14. गवाह ए.ड. 3 भंवर ने अपने मुख्य परीक्षण में करीब 3 साल पहले अल्पेश का मोटरसाईकिल लेकर जाना और बारावरदा आंगनवाडी के पास गौतम का तेजगति, लापरवाही से ट्रैक्टर लेकर आना और अल्पेश की मोटरसाईकिल को टक्कर मारना बताया है। यह कहता है कि टक्कर से अल्पेश के हाथ–पैर टुट गये थे, फिर उसे अस्पताल लेकर गये, ईलाज कराया। यह कहता है कि उस समय वह खेत पर जा रहा था और एक्सीडेंट उसके सामने हुआ था। जिरह के दौरान यह इस तथ्य को गलत कहता है कि अल्पेश शराब के नशे में मोटरसाईकिल चला रहा हो और पत्थर से टक्कर लगने से उसके चोटें आयी हो। बीमा कम्पनी की ओर से जिरह करने पर यह गौतम वाहन चालक को पूर्व से जानना भी बताता है और दुर्घटना के स्वयं के देखने के संबंध में इसके कथनों में यद्यपि कुछ विरोधाभास आया है और इसने स्वयं द्वारा दुर्घटना नहीं देखना भी प्रकट किया है, किंतु इस तथ्य को गलत कहता है कि अल्पेश उसका रिश्तेदार हो, इसलिए वह उसे क्लेम दिलाने के लिए मिथ्या साक्ष्य दे रहा हो। इन सभी गवाहों के कथनों से विपक्षी संख्या 1 की लापरवाही एवं उपेक्षा से उक्त दुर्घटना का घटित होना प्रकट होता है।

15. प्रार्थी की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसके अवलोकन से शंभुलाल जो कि आहत अल्पेश का पिता है, उसके द्वारा पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 3 घटना के दुसरे दिन दी गई है, उसमें दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर के नम्बर भी बता रखे है और ट्रैक्टर चालक की गफलत व लापरवाही से उक्त दुघ र्टना का कारित करना और उसके पुत्र अल्पेश के शरीर पर उक्त टक्कर से चोटें आना भी बता रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा विपक्षी संख्या 1 गौतम के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया और बाद अनुसंधान विपक्षी के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता में चालान पेश किया, जो प्रदर्श 1 है। पुलिस द्वारा धारा 133 एमवी एक्ट को जो नोटिस प्रदर्श 09 वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 जगदीश को दिया गया उससे भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त वाहन को वक्त दुर्घटना चलाना प्रकट हुआ है। नक्शामौका प्रदर्श 6 में उक्त दुर्घटना के मौके के हालात अंकित कर रखे है। प्रार्थी की ओर से आहत एवं अन्य साक्षीगण के पुलिस द्वारा दौराने अनुसंधान जो कथन लेखबद्ध किये गये। उनकी सत्यापित प्रतियां भी प्रस्तुत की गई है, जिनमें आहत अल्पेश का बयान प्रदर्श 7 और गवाह शंभु का बयान प्रदर्श 8 है। आहत का चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 16 व प्रदर्श 17 भी प्रस्तुत किये है, उनसे भी आहत के उक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप चोटें आना ही प्रकट होता है। विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और प्रार्थी साक्ष्य का किसी भी रूप में खण्ड्न नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखिय साक्ष्य के परिशीलन एवं उपरोक्त विस्तृत विवेचन के पश्चात् ट्रैक्टर के चालक विपक्षी संख्या 1 गौतम के द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाकर प्रार्थी अल्पेश के टक्कर मार कर दुर्घटना कारित कर प्रार्थी के शरीर पर साधारण व गंभीर चोटें पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है। अतः यह विवाद्यक प्रार्थी के

पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

16–<u>विवाद्यक संख्या–02:–</u>

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। जिसमें उसे यह तथ्य प्रमाणित करना है कि क्या वक्त दुर्घटना उक्त वाहन ट्रैक्टर मैसी टेफे नं. आर.जे. 35 आर.ए. 3805 को विपक्षी संख्या 1 चला रहा था जो कि वाहन के स्वामी विपक्षी संख्या 2 के नियोजन में होकर कार्यरत था एवं एवं वक्त दुर्घटना उक्त वाहन विपक्षी संख्या 3 द्वारा बीमित था? इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से इस प्रकरण में पुलिस ने विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व आरोप पत्र प्रदर्श 1 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337 व 338 भा.द.सं. में संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पुलिस द्वारा धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम का नोटिस प्रदर्श 09 वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 जगदीश को दिया गया है उसके जवाब में उसने वक्त दुर्घटना उक्त वाहन का चालक गौतम का होना बताया है। प्रार्थी की ओर से वाहन पंजिकरण प्रमाण पत्र प्रदर्श 20 जो प्रस्तुत हुआ है, उससे भी उक्त वाहन का विपक्षी संख्या 2 जगदीश के नाम पर परिवहन विभाग में पंजिकृत होने का तथ्य प्रकट होता है। बीमा पॉलिसी प्रदर्श 21 से उक्त वाहन का विपक्षी संख्या 3 के यहां बीमित होना प्रकट होता है। स्वयं प्रार्थी ने अपने क्लेम व बयान में तथा विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने भी अपने जवाब में उक्त वाहन का बीमित होना बताया है। बीमा कम्पनी ने भी उक्त वाहन का बीमित होना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य से विपक्षी संख्या–1 द्वारा वाहन को चलाना और उसका वाहन स्वामी विपक्षी संख्या–2 द्वारा नियुक्त होना तथा वक्त दुघ र्टना उक्त वाहन का विपक्षी संख्या 3 द्वारा बीमित होना प्रमाणित होता है। अतः इस प्रकार यह विवाद्यक प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

17–<u>विवाद्यक संख्या–03:–</u>

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार विपक्षीगण पर है, जिसमें उन्हें यह तथ्य प्रमाणित करना है कि क्या विपक्षी बीमा कम्पनी/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में अंकित आपत्तियों से अपने दायित्व से उन्मोचित योग्य है? इस प्रकरण में विवाद्यक संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुए है और विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में अधिकांश तथ्यों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया है, किंतु पुलिस द्वारा जो धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 को दिया गया है, उसमें उसने उक्त वाहन ट्रैक्टर का विपक्षी संख्या 1 द्वारा चलाना बताया है। वही बीमा कम्पनी ने अपने जवाब में अधिकांश तथ्यों को जानकारी के अभाव मे अस्वीकार किया है और स्वयं प्रार्थी द्वारा मोटरसाईकिल को लापरवाही से चलाते हुए, सड़के बीच में स्वयं की लापरवाही से व अन्य वाहनों की अनदेखी कर मोबाईल पर बातचित करते हुए ट्राफिक नियमों की अवहेलना करते हुए, शराब के नशे में संतुलन खो बैठने व पत्थर से टकराने से चोटें आने की संभावना व्यक्त की है। बीमा कम्पनी ने अपने जवाब में वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र चालक के पास नहीं होने से बीमा कम्पनी का कोई दायित्व नहीं बनना प्रकट किया है तथा दौराने बहस बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी/आहत के ईलाज के दस्तावेज पेश नहीं करने से दुर्घटना की संभावना से तथा उसी के परिणाम स्वयं चोटें आने से इंकार किया है, किंतु विपक्षीगण की ओर से प्रार्थी साक्ष्य का कोई खण्ड्न नहीं किया गया है और अपने जवाब दावे में ली गई आपत्तियों को भी किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण की जवाब दावे में ली गई आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है। अतः यह विवाद्यक विपक्षीगण के विरूद्व एवं प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

18. विवाद्यक संख्या– 04–

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है, जिसमें उसने यह तथ्य प्रमाणित करना है कि क्या प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हां तो किस प्रकार? प्रकरण में विवाद्यक संख्या 1 व 2 प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये है और विवाद्यक संख्या 3 विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि विपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

19. प्रार्थी गवाह ए.ड. 1 अल्पेश ने अपने बयान में मुख्य परीक्षण में दुघ र्टना से उसके बाये हाथ व पैर पर चोटें आना तथा उसे प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराना बताया है तथा अपने कथनों के समर्थन में एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 16 और चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 17 भी प्रस्तुत किये है। जिरह के दौरान इसने इस तथ्य को सही बताया है कि उसने ईलाज संबंधित दस्तावेज व बिल पेश नहीं किये है। जिरह के दौरान इसने प्रदर्श 16 एक्सरे रिपोर्ट पर दिनांक 09.02.2017 अंकित होना सही बताया है और इस संबधं में बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उक्त एक्सरे रिपोर्ट गलत दिनांक के अंकन से विश्वसनीय नहीं है, जबकि प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि प्रदर्श 17 चोट प्रतिवेदन में प्रार्थी के शरीर पर आयी चोटों के संबधं में एक्सरे हेतु दिनांक 09.03.2017 को यानि की दुर्घटना के दिन ही सुझावित किया गया और उसी के पश्चात् प्रदर्श 16 एक्सरे रिपोर्ट बनायी गई है। ऐसी स्थिति में यदि कोई दिनांक में गलत अंकन हुआ भी है तो उससे उक्त रिपोर्ट को अविश्वनीय नहीं माना जा सकता है।

20. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 17 दिनांक 09.03.2017 को बनाया गया है और उसमें बाये पांव, बाये हाथ की चोटों के संबंध में एक्सरे की राय सुझावित की गई है और इसी में नाक से रक्त बहना भी और उक्त चोट का गंभीर प्रकृति की होना भी अंकित कर रखा है और उपर के काटने वाले दातों का हिलना भी बता रखा है, किंतु उक्त चोटें के संबधं में कोई एक्सरे रिपोर्ट अथवा विशेषज्ञ की राय अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त चोट का साधारण प्रकृति की होना ही पाया जाता है। प्रदर्श 17 के आधार पर ही प्रदर्श 16 एकसरे रिपोर्ट बनायी गई है और उसमें बाये हाथ की ह्युमर हड्डी तथा बाये पांव में टिबिया एवं फिब्युला अस्थियों का भंग होना भी चिकित्सक ने स्पष्ट तौर पर बता रखा है। विपक्षीगण की ओर से प्रार्थी साक्ष्य का इस संबधं में कोई खण्ड्न नहीं किया गया है और ऐसा भी कोई तथ्य सामने नहीं लाया जा सका है कि जिससे यह प्रकट हो कि प्रार्थी अल्पेश के उक्त चोटें इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप नहीं आयी हो और बल्कि किसी अन्य कारण एवं प्रकार से आयी हो। प्रार्थी के उपचाररत रहने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने मात्र से उक्त चोट प्रतिवेदन एवं एक्सरे रिपोर्ट को अविश्सनीय माने जाने का कोई कारण एवं आधार भी विपक्षीगण ने नहीं बताया है। इसलिए उक्त चोटें प्रार्थी को इसी दुर्घटना से कारित होना ही प्रमाणित पाया जाता है।

21. चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 17 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 16 में बाये पांव एवं बाये हाथ पर आयी चोटों का अस्थी भंग होकर गंभीर प्रकृति की होना बताया है तथा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 16 में इस प्रकार से प्रार्थी के शरीर पर उक्त चोट प्रतिवेदन के अनुसार आयी दोनों चोटों का गंभीर प्रकृति का तथा तीसरी चोट का साधारण प्रकृति का होना पाया जाता है। यद्यपि प्रार्थी की ओर से कोई स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य उपचार के दस्तावेज पेश नहीं किये है, किंतु प्रार्थी साक्ष्य का विपक्षीगण की ओर से कोई खण्ड्न भी किसी संपुष्टि कारक साक्ष्य से नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अल्पेश को

उक्त चोटप्रतिवेदन के हिसाब से गंभीर प्रकृति की दोनों चोटें आने से प्रति गंभीर चोट 20,000 रूपये के हिसाब से कुल **40,000/–** रूपये तथा एक साधारण चोट का **1,000/–** रूपये का प्रतिकर दिलाया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। प्रार्थी अपने बयान में उक्त चोटों से हाथ से काम नहीं कर सकना और चलने में परेशानी होना प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आहार, परिचर्या, कष्ट व पीड़ा क्षति हेतु एक मुश्त **5,000/–** दिलाया जाना उचित पाया जाता है।

22–अनुतोष ?

इस प्रकरण में विवाद्यक संख्या–01 व 02 प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित हुए है तथा विवाद्यक संख्या 3 विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित हुआ है। अतः प्रार्थी अल्पेश सभी विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से क्लेम राशि ₹40,000+1000+5000 = **₹46,000**/–(अक्षरे छियालिस हजार रूपये मात्र) प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

::: पंचाट :::

23. परिणामतः प्रार्थी अल्पेश के पक्ष में एवं सभी विपक्षीगण के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का कुल **₹46,000**/–(अक्षरे छियालिस हजार रूपये मात्र) का अंतिम पंचाट पारित किया जाता हैं। प्रार्थी उक्त राशि विपक्षीगण संख्या 1 से 3 से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी उक्त राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक–21/12/2017 से ता–वसूली 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जो प्रार्थी को उसके बचत खाते के माध्यम से 60 दिवस में अदा की जावें, अन्यथा प्रार्थी उक्त राशि पर भी 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिनांक पंचाट से ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी होगी। उक्त प्रतिकर राशि का आरटीजीएस/नेफ्ट/चैक/डी.डी. के द्वारा अधिकरण में जमा करायी जावेंगी, जिसकी सूचना विपक्षीगण द्वारा अधिकरण को देने एवं जमा होने की रसीद निर्धारित प्रारूप के साथ प्रस्तुत होने पर एवं अधिकरण के खाते मे जमा होने पर उक्त राशि प्रार्थी को सीधे उसके बचत खाते के माध्यम से दिलायी जावें। शेष क्लेम बाबत् कोई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य नहीं होने से अन्य मदों में कोई राशि दिलाया जाना उचित नहीं पाया जाता हैं।

(महेन्द्र कुमार मेहता)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
प्रतापगढ़

24. निर्णय/पंचाट आज दिनांक 27.04.2019 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(महेन्द्र कुमार मेहता)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
प्रतापगढ़